

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrar@sua@yahoo.co.in Phone: - 07774-222789, Fax: - 07774-222791

क्रमांक: 09 / अकादमिक / 2018

अम्बिकापुर, दिनांक 12/12/2018

प्रति.

1. समस्त विभागाध्यक्ष  
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग  
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा  
अम्बिकापुर (छ.ग.)

2. प्राचार्य  
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय  
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा  
अम्बिकापुर, (छ.ग.)

3. प्राचार्य  
विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज  
लखनपुर-अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं में एंटी रैगिंग के सख्त अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ - कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 2034/501/आउशि/सम/2018,  
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया पत्र में दिए गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

अम्बिकापुर, दिनांक /12/2018

पृष्ठांकन क्रमांक : /अकादमिक/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)।
3. कार्यालयीन नस्ती।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अकादमिक)

824/CC/mail/1821

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

--00--

क्रमांक/2034/501/आउशि/सम/2018

नया रायपुर दिनांक 12/11/2018

प्रति,

1. कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.
2. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छ.ग।

विषय :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं में एंटी रैगिंग के सख्त अनुपालन के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 463/204/2018/38-2 अटल नगर रायपुर दिनांक 25.09.2018
  2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक 1-15/2015/ एआरसी पीटी-1 दिनांक 26.06.2018

--00--

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2018

पृ. क्रमांक/2035/501/आउशि/सम/2018

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनाार्थ।

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

कुलपति का सचिवालय  
पत्र आंक/जांक क्र. 122  
दिनांक 14/11/2018



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय::  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर  
.....00.....

No.: L-201 ..... 22-102  
AD (P.) / ..... / DD .....  
Section .....  
Date 26 SEP 2018 C/M.F.

क्रमांक 463/204/2018/38-2  
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक 25/09/2018

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषय:- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एंटी  
रैगिंग के सख्त अनुपालन के संबंध में।

.....00.....

विषयांतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास  
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-15/2015(ARC)pt.I  
दिनांक 26.06.2018 की छायाप्रति संलग्न है।

2/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं  
में रैगिंग की रोकथाम के लिये दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाई करते हुए  
कृत कार्यवाई से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(नलिनी मायुर)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

25/8/18



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर)  
Ministry of Human Resource Development, Govt. of India

बहादुर शाह जलर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Behadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph: 011-23222222/23222222  
Fax: 011 2323 2252  
Email: ugc@ugc.gov.in

श्री. रजनीश जैन  
सचिव  
Prof. Rajnish Jain  
Secretary

OIO CHIEF SECRETARY  
Govt of Chhattisgarh  
DAK-CS 09.1.3  
Date 24-08-2018

By Speed Post

D.O. No.1-15/2016 (ARC) pl.1

28<sup>th</sup> June, 2018

Dear Sir/Madam

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.06.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the University Grants Commission framed "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". It is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism as per provisions in the above regulations and ensure its strict compliance. The Regulations are available on the UGC website i.e. [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in).

As per provision in the above Regulations and for ensuring its strict compliance, UGC has designed and printed four types of posters to create awareness in the students about ill effects of ragging.

You are requested to display these posters on your office, especially in the areas where people generally assemble like canteen, reception and common places etc. In this connection, we are sending 05 packets of 04 types of posters to you.

You are also requested to fill an online compliance of the prominent display of posters on UGC Anti-Ragging website i.e. [www.antiragging.in](http://www.antiragging.in)

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

21 AUG 2018  
Jey. Hr. Eder.

Encl: as above

The Chief Secretary,  
Mahanadi Bhavan, Mantralaya,  
NayaRaipur-492001,  
Chattisgarh.

सं. 15/2016 (ARC) प्ल. 1  
दि. 25/08/18

25/08/18



महाविद्यालय में एग्जीक्यूटिव समिति के  
 विचार समिति के कार्ययोजना एवं रैजिंग रोकने  
 के संबंध में एक आवश्यक बैठक रची गई  
 है इस हेतु दिनांक 10.09.22 को महाविद्यालय में  
 अग्रलिखित हॉल अपनी उपस्थिति सुनिश्चित  
 करें।

- ① श्री अजय कुमार
- ② डॉ. रविशंकर चौधरी
- ③ श्री चोलसाय चेरवा
- ④ श्री रामकुमार
- ⑤ श्रीमती प्रियंका लाल
- ⑥ श्रीमती अशकिष्ठा मिश्रा

*(Signature)*

प्रशासनिक अधिकारी  
 डॉ. रविशंकर चौधरी  
 आस. महाम. प्रशासन



## बैठक

आज दिनांक 10.09.2022 को महाविद्यालय में  
शैक्षणिक समिति की आगश्यक बैठक हुई जिसमें  
समिति विहार समिति के कार्ययोजना तथा  
शैक्षणिक बोर्ड संबंधी मुद्दों पर विहार से  
बर्चा हुई। जिसमें सर्वप्रथम समिति का  
विहार किया गया जो अग्रलिखित है -

श्री अजय कुमार - संयोजक

डॉ. रमेश चौरा - सदस्य

श्री चोलसय चौरा - सदस्य

श्री राम कुमार - सदस्य

श्रीमती प्रियंका साहू - सदस्य

श्रीमती अशा कृष्ण मिश्र - सदस्य

बैठक में अग्र निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

- ① छात्रों में शैक्षणिक के विरुद्ध आंदोलन बाने  
के लिए प्रेरित किया जाए।
- ② ए-टी शैक्षणिक जागरण का फ्लैक्स बनाने  
पर निर्णय लिया गया।
- ③ शैक्षणिक संबंधी पोस्टर, बैनर, रंगोली  
पेन्सिल आदि को महाविद्यालय में प्रदर्शित  
किया जाने का निर्णय लिया गया।



19) यह कोर्स छात्र या छात्रा रैगिंग संबंधी गतिविधियों में शामिल पाया जा रहा है जो उचित कार्यवाही किए जाने की निर्णय लिया गया।

आज डिाडे के बैठक में महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की शी-समिति में शामिल किया गया जो अग्रलिखित है -

- 1) अजिषेक पाटिल - B-A-II ~~AP~~
- 2) रोशन कुमार - B-SC-III ~~Reshankar~~
- 3) कु. लज्जली पेंकरा - B-SC-III ~~Opant~~
- 4) कु. अक्षय पर्वीन - B-SC-III ~~Ashay~~
- 5) कु. अंशु देवेंद्रन - B-SC-I ~~Anshu~~
- 6) कु. ज्योति कुशा - B-A-I ~~Jyoti~~
- 7) ज्ञानेन्द्र प्रसाद - B-SC-I ~~Jnanendra~~

समिति के संयोजक श्री लज्जत कुमार द्वारा समस्त सदस्यों को दृश्यवाहू साक्षर की बैठक समाप्त की घोषणा की गई।




# चुना

दिनांक 20.12.2022

ग्रहाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं से सूचित किया जाता है कि ग्रहाविद्यालय में रैगिंग समिति द्वारा रैगिंग रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत पन्थि प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 22-12-2022 को किया जाता है। ग्रहाविद्यालय के इच्छुक छात्र/छात्राएं अपना नाम भी अजय कुमार जी के पास दें।

टीप:- चार्ट पेपर एवं पन्थि साजगी छात्र/छात्राओं से स्वयं लेकर आना होगा।

- ① ~~अजय~~
- ② ~~अजय~~
- ③ ~~अजय~~
- ④ ~~अजय~~
- ⑤ ~~अजय~~
- ⑥ ~~अजय~~
- ⑦ ~~अजय~~
- ⑧ ~~अजय~~
- ⑨ अ
- ⑩ अ

  
अजय  
रूनी रैगिंग